न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 15/2024

बउनवान

1. रामपाल उम्र 57 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल जाति मीणा निवासी काजीखेडा तहसील व जिला बारां
2. मोहनलाल उम्र 51 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल जाति मीणा निवासी काजीखेड़ा तहसील व जिला बारां

अपीलान्टगण

बनाम

1. बादाम बाई उम्र 66 वर्ष पुत्री श्री राधाकिशन पत्नि श्री मूलचन्द जाति मीणा निवासी काजीखेड़ा मैन रोड़, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, वार्ड नं० 02 काजीखेड़ी तहसील व जिला बारां (राज०)
2. बिरधीलाल उम्र 51 वर्ष पुत्र श्री छीतरलाल जाति मीणा निवासी काजीखेड़ा तहसील व जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां (राज०)

रेस्पोडेन्टगण

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

अपील बनाराजगी इंतकाल नं० 905 दिनांक 14.02.2024 ग्राम गजनपुरा तहसील बारां अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

उपस्थितः 1. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट्स)

निर्णय दिनांक 11.11.2024

अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतकरण दर्ज करते समय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन नही किया है। ग्राम गजनपुरा तहसील बारां में खसरा नं0 418 रकबा 1.48 है० भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्टगण के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। इसमें सम्वत् 2070 से 2073 की जमाबंदी में बादाम बाई का 1/4 हिस्सा दर्ज था तथा बिरधीलाल का 1/40 हिस्सा दर्ज था तथा इसी प्रकार अपीलान्ट क्रम 01 रामपाल का 1/32 तथा मोहनलाल अपीलान्ट क्रम 02 का 1/2 हिस्सा दर्ज था। इससे पूर्व की जमाबंदी में पानाबाई द्वारा बादाम बाई के हक में हक त्याग किया तब पाना बाई का 1/8 व बादाम बाई का 1/8 हिस्सा दर्ज था। यह स्थिति सम्वत् 2050 से 2053 की जमाबंदी में थी। राधाकिशन के फौत होने पर इंतकाल नं0 73 से दर्ज हुई थी। इंतकाल नं0 815 दिनांक 09.02.2022 से पाना बाई के 1/8 हिस्सा था, जो बादाम बाई के पक्ष में हक त्याग करने के कारण बादाम बाई का 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया तथा यही हिस्सा विवादित है। पक्षकारान जाति से मीणा है, जो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा में आते है तथा वर्तमान हिन्दू कानून इन पर लागू नही होता है। इस कारण वर्तमान हिन्दू लॉ में धारा 2 के तहत मीणा जाति को हिन्दू लॉ से अलग किया हुआ है और यदि मीणा जाति पर हिन्दू लॉ लागू किया जावे तो उसकी अलग से राजपत्र में घोषणा की जाती है जो नहीं की गई है, इस कारण पक्षकारों पर वर्तमान हिन्दू लॉ लागू नही होता, जिसके अनुसार किसी पक्षकार के पुत्र होने पर पुत्रियों को उसकी सम्पत्ति में कोई अधिकार नही मिलते। पक्षकारों का सजरा निम्न प्रकार है –

ऑंकार (फौत)
पुत्र
राधाकिशन (फौत)
पुत्र | पुत्रियां
प्रभूलाल (फौत) धन्नालाल (फौत) ल[illegible] (फौत) छी[illegible] (फौत) धनश्याम (फौत) | 1. पानाबाई 2. बादामबाई
पुत्र
मोहनलाल रामपाल
पुत्र [illegible] पुत्रिया
1. बिरधीलाल [illegible] रेखा बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.04 11:12:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

विवादग्रस्त भूमि का साबिक खसरा नं0 383 रकबा 8 बीघा 3 बीस्वा था तथा यह भूमि सम्वत् 2026 से 2029 में महराव खां, वजीर खां वल्द रहीम बक्श जाति मुसलमान के नाम थी। जिससे यह भूमि राधाकिशन पुत्र औंकार मीणा काजीखेड़ा जो अपीलान्टगण के पितामह थे ने दिनांक 23.05.1975 को खरीद की थी एवं इंतकाल नं0 64 से राधाकिशन के नाम दर्ज हुई थी। चूंकि यह राधाकिशन की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, इस कारण राधाकिशन के फौत होने के बाद यह भूमि उसके 5 पुत्रों प्रभूलाल, धन्नालाल, लक्ष्मीनारायण, छीतरलाल, घनश्याम व दो पुत्रियां पाना बाई व बादाम बाई के नाम फौती इंतकाल से दर्ज हुई। चूंकि पक्षकारान जाति से मीणा है तथा मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होता, इस कारण पिता के मरने पर पुत्र होने पर पुत्रों का ही नाम आना चाहिये था. पुत्रियों का नाम इंतकाल नं0 73 दिनांक 27.05.1993 से गलत दर्ज कर दिया तथा पाना बाई व बादाम बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो गया, जो शुन्य होने से दर्ज नही होना चाहिये था, क्योंकि पाना बाई व बादाम बाई की शादियां कर दी गई थी तथा वह अपने पति के साथ रहती थी। इस कारण उनका नाम दर्ज नहीं होना चाहिये था। अपना नाम गलत दर्ज होने का फायदा उठाकर पाना बाई ने अपना हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड हक त्याग से अपनी बहिन बादाम बाई रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के नाम ट्रांसफर कर दी, चूंकि पाना बाई को ही कोई अधिकार नही था, इस कारण उसके द्वारा ट्रांसफर किया गया हकत्याग पत्र जो बादाम बाई रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के नाम दिनांक 12.11.2021 को करवाया स्वतः ही शुन्य हो जाता है. इस कारण बादाम बाई रेस्पोडेन्ट क्रम 01 को भी पाना बाई के हिस्से पर कोई अधिकार प्राप्त नही होता है तथा इस हक त्याग पत्र के आधार पर इंतकाल नं० 815 दिनांक 09.02.2022 से पाना बाई के स्थान पर बादाम बाई रेस्पोडेन्ट क्रम 01 का नाम दर्ज हो गया, इस कारण इंतकाल नं0 815 दिनांक 09.02.2022 ग्राम गजनपुरा स्वतः ही शुन्य हो गया। पाना बाई ने भी हक त्याग पत्र बिना बंटवारा करवाये करवाया था. इस कारण ऐसा हक त्यागपत्र भी शुन्य है। इस प्रकार बादाम बाई रेस्पोडेन्ट क्रम 01 को वादग्रस्त भूमियों में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इसको शून्य घोषित करवाने के लिये वादीगण की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 188, 53 आर.टी. एक्ट का न्यायालय उप जिला कलक्टर बारां में दिनांक 31.07.2023 को पेश कर दिया था, जो प्रकरण संख्या 110/2023 पर दर्ज हुआ, जिसमें दिनांक 08.01.2024 को रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके वकील नरेन्द्र कुमार सोमानी ने वकालतनामा दिया, जिसमें अग्रिम तारीख पेशी वास्ते तलबी शेष रेस्पोडेन्टगण दिनांक 19.04.2024 नियत है। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने यह जानते हुये कि उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा जैरकार है. अपना 1/4 हिस्सा रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र से त्याग कर दिया, जो भी बिना बंटवारा व बिना कब्जा हक त्याग किया गया है। इस कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के पक्ष में किया गया हक त्याग पत्र दिनांक 19.01.2024 ग्राम गजनपुरा स्वतः ही निरस्त हो जाता है तथा इस हक त्याग पत्र के जर्ये रेस्पोडेन्ट क्रम 02 ने अपने नाम इतकाल नं0 905 दिनांक 14.02.2024 को तस्दीक भी करवा लिया है, जो भी स्वतः ही शुन्य हो जाता है। क्योंकि इंतकाल एक सरसरी कार्यवाही है एवं इंतकाल से कोई अधिकार भी प्राप्त नही होते है, इस कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 19.01.2024 को शुन्य घोषित किया जावें। रेस्पोडेन्ट क्रम 02 अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को रहन, बेचान करने पर आमादा है तथा धमकी दे रहे है, कि हम इन भूमियों को बेचान करके इसपर प्लॉट काटेगें व भूमि को आबादी में कन्वर्ट करवाकर मकान बनवायेगें, जिसका उनको कोई अधिकार हासिल नही है। अतः अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल नं0 905 दिनांक 14.02.2024 ग्राम गजनपुरा तहसील बारां निरस्त फरमाया जावें तथा तहसीलदार बारां को आदेशित किया जावें कि इस नामांतकरण पर नोट अंकित किया जावें कि यह भूमि विवादित है, इसका निस्तारण न्यायालय उपजिला कलक्टर बारां में जैरकार मुकदमा नं0 110/2023 बउनवान रामपाल वगैरह बनाम बादाम बाई वगैरह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट के निर्णय के अनुसार ही किया जावेगा।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। [illegible]टगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण [illegible] नियत किया।

दौराने बहस [illegible]क अपीलांट ने [illegible]ल में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मीणा जाति में विवाहित पु[illegible] कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते परन्तु हस्तगत प्रकरण में विरासतन रेस्पोडेन्ट [illegible] के कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अपने हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.04 11:12:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आराजी का हकत्याग पत्र रेस्पोडेन्ट कम 2 के पक्ष में तस्दीक करवाया तथा इसी रजिस्टर्ड हकत्याग के आधार पर उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट कम 2 के नाम दर्ज हुई। रेस्पोडेन्ट कम 2 अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को रहन, बेचान करने पर आमादा है। अतः अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल नं0 905 दिनांक 14.02.2024 ग्राम गजनपुरा तहसील बारां निरस्त फरमाया जावें तथा तहसीलदार बारां को आदेशित किया जावें कि इस नामांतकरण पर नोट अंकित किया जावें कि यह भूमि विवादित है, इसका निस्तारण न्यायालय उपजिला कलक्टर बारां में जैरकार मुकदमा नं0 110/2023 बउनवान रामपाल वगैरह बनाम बादाम बाई वगैरह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट के निर्णय के अनुसार ही किया जावेगा। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट्स ने विधिक दृष्टांत आरबीजे (18) 2011 पृष्ठ संख्या 559 बउनवान जगसिंह बनाम कीर्तिभानू आदि तथा 2014(3) डीएनजे (राज.) पृष्ठ सं. 1050 बउनवान भूली बनाम चंदा व अन्य की छायाप्रतियां पेश कर अपील स्वीकार किये जाने का कथन किया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि रेस्पोडेन्टस वादग्रस्त आराजीयात के मूल खातेदार राधाकिशन मीणा के विधिक वारिसान तथा रेकार्डेड खातेदार हैं। तथा रेकार्डेड सहखातेदार द्वारा रेकार्डेड अन्य सहखातेदार के पक्ष में किया गया हकत्याग पूर्णतया वैध है। वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट कम 1 का विरासतन कोई हक–हिस्सा नहीं होने के संबंध में अपीलांट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में वाद कमांक 110/2023 बउनवान रामपाल वगैरह बनाम बादामबाई वगैरह पेश किया जो जैरकार है। रेस्पोडेन्ट कम 1 का यदि मृतक खातेदार राधाकिशन की सम्पत्ति में कोई अधिकार नही हैं तो यह तथ्य जैरकार वाद में ही तय होगा। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली तथा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरण बादामबाई द्वारा अपना हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र बिरधीलाल के पक्ष में तर्क किये जाने के आधार पर खोला जाकर तस्दीक किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के स्तर से किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। नामान्तकरण कार्यवाही समरी ट्रायल एवं फिस्कल कार्यवाही है जिसके माध्यम से हक अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उभयपक्षकारान के हक अधिकार का निर्धारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां में विचाराधीन वाद कमांक 110/2023 बउनवान रामपाल वगैरह बनाम बादामबाई वगैरह में बाद साक्ष्य एवं सुनवाई होगा। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स निराधार एवं सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट निराधार एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.04 11:12:13 IST
Reason: SelfAttested